कार्यालयः उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

जी0आई0टी0आई0 परिसर, अलीगंज, लखनऊ

पत्रांकः 785/कौ0वि0मि0/यू0पी0एस0डी0एम0/2023–24/ /लखनऊ

दिनांकः 06 जून, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों का टीओटी प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य है। उक्त आशय का कार्यालय ज्ञाप संख्याः–1413/UPSDM/2020–21/का.आ./1656 दिनांक 08.09. 2021 में भी उक्त प्राविधान स्पष्ट रूप से निम्नानुसार उल्लिखित हैः–

The PTP Shall employ qualified and experienced Personnel. The Trainer shall have taken TOT from the respective Sector Skill Council or any other authorized body.

प्रशिक्षकों के टीओटी प्रमाण पत्र की मान्यता के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षणोपरान्त प्रदान किये गये टीओटी प्रमाण पत्र ही मान्य व स्वीकार्य होंगे अथवा् क्राफ्ट्स इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (सी0आई0टी0एस0) के अन्तर्गत एक वर्ष के टीओटी प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षक ही जिनके द्वारा एन0सी0आई0सी0 प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो, Short Term Training हेतु अर्ह होंगे। एनसीवीईटी द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्याः–22003/01/2019/NCVET/97 दिनांक 26.12.20219 में अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षकों हेतु निर्धारित व्यवस्था मान्य होगी।

जिला कार्यक्रम प्रवंधन इकाई द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों के अनुमोदन के समय उपर्युक्तानुसार वर्णित सक्षम स्तर से निर्गत किये गये टीओटी प्रमाण पत्रों को सुनिश्चित किया जायेगा तथा टीओटी प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि का भी परीक्षण किया जायेगा। वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित टीओटी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6/6/23

(आन्द्रा वामसी)
आई.ए.एस.
मिशन निदेशक

संख्याः– /कौ0वि0मि0/यू0पी0एस0डी0एम0/2023–24/लखनऊ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सम्बन्धित जनपद जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित जनपद मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जनपद जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई।
5. सम्बन्धित सेक्टर स्किल कांउसिल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश में वर्णित सेक्टर की टी0ओ0टी0 की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता।
7. समस्त प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, लखनऊ।
8. आई0टी0 प्रकोष्ठ के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाइल।

(आन्द्रा वामसी)
आई.ए.एस.
मिशन निदेशक